।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह परमार, आर०ए०एस०

2018/83

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 2/68 तारीख रज्जू 12.07.2018

01– अब्दुल पुत्र चाहत, उम्र करीब 55 साल, जाति मेव, निवासी बन्दीपुरा, तहसील मालाखेडा जिला अलवर –प्रार्थी

बनाम

01– शरीफ पुत्र चाहत, उम्र करीब 38 साल, जाति मेव, निवासी बन्दीपुरा, तहसील मालाखेडा जिला अलवर –असल अप्रार्थी

02– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर –तकमीली अप्रार्थी

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत तकसीम व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 व आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

–: निर्णय :– दिनांक: 26.09.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 238 रकबा 0.2100 है०, 291 रकबा 0.1700 है०, 292 रकबा 0.0500 है०, 300 रकबा 0.5000 है०, 301 रकबा 0.1500 है०, 358 रकबा 0.4900 है०, 368 रकबा 0.5000 है०, 369/772 रकबा 0.1000 है०, 393/777 रकबा 0.0800 है०, 394 रकबा 0.5000 है०, 395 रकबा 0.3500 है०, 429 रकबा 0.6900 है० कुल किता 12 कुल रकबा 3.7900 है० वाके ग्राम बन्दीपुरा, तहसील मालाखेडा जिला अलवर में स्थित है

सहायक कलक्टर अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

(5)

जो वाद में विवादित है। राजस्व रिकॉर्ड में आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 291 व 301 के बीच पगडण्डी रास्ता आराजी मुतनाजा में आवागमन के लिए था लेकिन सरकार द्वारा आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 291 में से कुछ रकबा सडक के लिए अवाप्त कर लिया है जो सडक सरकारी सोनपुर से बन्दीपुरा होती हुई रतवाका को निकल जाती है व आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 291 व 301 के बीच कोई पगडण्डी रास्ता चालू नहीं है। आराजी मुतनाजा में मिनवादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 का 1/2 हिस्सा है। आराजी मुतनाजा मिनवादी व असल प्रतिवादी की अबट खातेदारी की आराजी है। जिसका अभी तक बॅटवारा नहीं हुआ है व पक्षकारान उक्त आराजी पर सामलात में काबिज दाखिल है व सामलात में काश्त करते चले आ रहे है। मिनवादी व असल प्रतिवादी आराजी मुतनाजा पर बहैसियत खातेदार काश्तकार के नेक नियती से शामलात में काबिज दाखिल है व कागजात माल में इन्द्राज आराजी मुतनाजा के बाबत शामलात में चला आ रहा है। असल प्रतिवादी काफी प्रभावशाली, शक्तिशाली होने के कारण व लट्‌ठ का जोर होने के कारण आराजी मुतनाजा में मिनवादी को पैदावार काश्त संबंधी कुल कार्य करने में व जोतबाह करने में रूकावट व मजाहमत करता है। जिसका उसको कोई हक हॉसिल नहीं है व मिनवादी को जबरन बेदखल करके अपना नाजायज कब्जा करना चाहता है व आराजी मुतनाजा शक्ल तब्दील करना चाहता है व आराजी को अकृषि योग्य बनाना चाहता है। मिनवादी के मना करने पर मिनवादी को जान से खत्म करने की धमकी देता है। आराजी मुतनाजा में मिनवादी व असल प्रतिवादी का उपरोक्तानुसार हिस्सा है प्रतिवादी असल विवादित आराजी में निर्माण करने पर उतारू है व बिला तकसीम कराये रहन बय करना चाहता है व प्रतिवादी असल खूंखार होने के कारण मिनवादी को आराजी मुतनाजा में पैदावार काश्त संबंधी कुल कार्य करने में रूकावट मजाहमत करता है। मिनवादी अपने हिस्से की आराजी में सही प्रकार से तरक्की हॉसिल नहीं कर पा रहा है जिससे मिनवादी की बरबादी का बाईस है। यदि प्रतिवादी असल ने मिनवादी को आराजी मुतनाजा में पैदावार काश्त संबंधी कुल कार्य करने में रूकावट व मजाहमत की व जबरन बेदखल करके अपना नाजायज कब्जा कर लिया व कृषि भूमि को अकृषि भूमि बना दी व आराजी मुतनाजा में खड्‌डे आदि कर दिये व बिला तकसीम कराये आराजी मुतनाजा को रहन बय आदि कर व निर्माण कर लिया तो

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

मिनवादी को ऐसा भारी नुकसान पहुँचेगा जिस नुकसान की क्षतिपूर्ति किसी दीगर तरीके से पूरी नहीं हो सकेगी व दरमियान पक्षकारान और भी झगडे व मुकदमेबाजी बढ जाने का अंदेशा है वो मिनवादी की बरबादी का बाईस है। दिनांक 12.07.18 को असल प्रतिवादी ने धमकी दी है व आराजी मुतनाजा को तकसीम करने से साफ इंकार कर दिया है। जिससे मौजूदा दावा तकसीम व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजिम आया है। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाला नुकसान मिनवादी के पक्ष में है। चूंकि मिनवादी आराजी मुतनाजा के खातेदार काश्तकार के काबिल दाखिल है।

अतः ताफैसला दावा प्रतिवादी असल के नाम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी फरमायी जावे कि प्रतिवादी असल आराजी मुतनाजा मुन्दर्जे वाद पत्र मद सं0 1 आराजी खसरा नंबर 238 रकबा 0.2100 है०, 291 रकबा 0.1700 है०, 292 रकबा 0.0500 है०, 300 रकबा 0.5000 है०, 301 रकबा 0.1500 है०, 358 रकबा 0.4900 है०, 368 रकबा 0.5000 है०, 369/772 रकबा 0.1000 है०, 393/777 रकबा 0.0800 है०, 394 रकबा 0.5000 है०, 395 रकबा 0.3500 है०, 429 रकबा 0.6900 है० कुल किता 12 कुल रकबा 3.7900 है० वाके ग्राम बन्दीपुरा, तहसील मालाखेडा जिला अलवर में स्थित है जो विवादित आराजी है, को असल प्रतिवादी बिला तकसीम कराये दीगर शख्स के हक में रहन बय ना करें व प्रतिवादी असल पैदावार काश्त संबंधी कुल कार्य करने में रूकावट मजाहमत ना करे व कृषि भूमि को अकृषि भूमि न करें व निर्माण आदि ना करें व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत रखी जाने बाबत निवेदन किया।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड की नकलात का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन करने एवं शपथपत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर दिनांक 12.07.2018 को अप्रार्थी को आगामी तारीख पेशी तक आराजी खसरा नंबर 238 रकबा 0.2100 है०, 291 रकबा 0.1700 है०, 292 रकबा 0.0500 है०, 300 रकबा 0.5000 है०, 301 रकबा 0.1500 है०, 358 रकबा 0.4900 है०, 368 रकबा 0.5000 है०, 369/772 रकबा 0.1000 है०, 393/777 रकबा 0.0800 है०, 394 रकबा 0.5000 है०, 395 रकबा 0.3500 है०, 429

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

रकबा 0.6900 है० कुल किता 12 कुल रकबा 3.7900 है० वाके ग्राम बन्दीपुरा, तहसील मालाखेडा जिला अलवर में प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर कब्जे काश्त में मजम्मत ना करने तथा उभय पक्षकारन को किसी विशिष्ठ भू–भाग का बेचान ना करने बाबत पाबन्द किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय में जर्ये वकील उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की मौके पर आराजी बटी हुई है, अबट नही है। उक्त आराजी का आपसी सहमति से काफी समय पूर्व बाहमी बटवारा हो चुका है। राजस्व रिकार्ड में शामलाती अंकन हो रहा है। एक दूसरे के हिस्से की आराजी में कोई हस्तक्षेप नही है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुत व अपूर्णिय क्षति नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिनांक 12.07.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के इन्ग्रीडियेंटस प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति का हवाला देकर प्रार्थना पत्र में वर्णित विवरण को दोहराते हुए दिनांक 12.07.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद (Absolute) करने का न्यायालय को निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के इन्ग्रीडियेंटस प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति का हवाला देकर दिनांक 12.07.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने का न्यायालय को निवेदन किया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया किया। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में पाये जाते है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में सफल रहे है। दिनांक 12.07.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद (Absolute) कर कन्फर्म किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम बाबत आराजी खसरा नंबर 238 रकबा 0.2100 है०, 291 रकबा 0.1700

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

(8)

है०, 292 रकबा 0.0500 है०, 300 रकबा 0.5000 है०, 301 रकबा 0.1500 है०, 358 रकबा 0.4900 है०, 368 रकबा 0.5000 है०, 369/772 रकबा 0.1000 है०, 393/777 रकबा 0.0800 है०, 394 रकबा 0.5000 है०, 395 रकबा 0.3500 है०, 429 रकबा 0.6900 है० कुल किता 12 कुल रकबा 3.7900 है० वाके ग्राम बन्दीपुरा, तहसील मालाखेडा जिला अलवर में उभय पक्षकारन को किसी विशिष्ठ भू–भाग का बेचान ना करने तथा अप्रार्थी को प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर कब्जे काश्त में मजम्मत नही करने बाबत दिनांक 12.07.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद (Absolute) कर कन्फर्म की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
सहायक कलक्टर
अलवर(राज०)

Scanned by CamScanner